रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277585
CG-DL-E-02112026-277585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5718] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5718] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2026

का.आ. 5950(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 के पैरा 2 में, सातवें और आठवें परंतुकों हेतु, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी माल या वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगा, जहां ऐसे माल या वस्तुओं के लिए क्रय आदेश 12 अगस्त, 2026 को या उससे पहले जारी किया गया था, लदान पत्र 30 नवंबर, 2026 को या उससे पहले जारी किया गया है और आगम पत्र 31 दिसंबर, 2026 को या उससे पहले जारी किया गया है और ऐसे मामलों में, आयातक ऐसी खेप की निकासी के सात दिनों के भीतर अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित

अपने लेटरहेड पर क्रय आदेश, लदान पत्र और आगम पत्र तथा अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।"

[फा. सं. पी-14031/99/2019-सीआई]

सुमीत कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 13 फरवरी, 2025 के सां.आ. 801 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इसमें दिनांक 12 फरवरी, 2026 के सां.आ. 774 (अ) तथा दिनांक 2 मार्च, 2026 के सां.आ. 1125 (अ) द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5950(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely: -

1. Short title and commencement. - *(1)* This Order may be called the Furniture (Quality Control) Third Amendment Order, 2026.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Furniture (Quality Control) Order, 2025, in paragraph 2, for the seventh and eighth provisos, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided also that nothing in this Order shall apply to import of goods or articles, where the purchase order for such goods or articles was placed on or before the 12th August, 2026, the Bill of the Lading is issued on or before the 30th November, 2026 and the Bill of Entry is issued on or before the 31st December, 2026 and in such cases, the importer shall provide a copy of the purchase order, the Bill of Lading and Bill of Entry along with other supporting documents in its letter head duly signed by its authorised signatory to the Bureau within seven days of clearance of such consignment.".

[F. No. P-14031/99/2019-CI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. secy.

Note: - The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 801 (E), dated the 13th February, 2025 and subsequently amended vide number S.O. 774 (E), dated the 12th February, 2026 and S.O. 1125 (E), dated the 2nd March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA